उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–114 / सत्तर–1–2019–11(21) / 2005
लखनऊ : दिनांक : 04 फरवरी, 2019

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों और उनके घटक महाविद्यालयों, सहयुक्त महाविद्यालयों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों की प्रत्येक सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध किये जाने विषयक अधिसूचना संख्या–113 / सत्तर–1–2019–11(21) / 2005 दिनांक 04 फरवरी, 2019 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियां संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल एवं कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
2– कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3– निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
7– कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
8– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा राज्य में व्यापक रूप से परिचालित हिन्दी तथा अंग्रेजी के कम से कम दो समाचार पत्रों में उक्त अधिसूचना को प्रसारित कराने का कष्ट करें।
10– अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सम्बन्धित को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।
11– उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के समस्त घटक महाविद्यालयों, सहयुक्त महाविद्यालयों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रबन्धक / प्राचार्य (द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज)।
12– संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित किया जाय तथा गजट की 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध करायी जाय।
13– निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
14– निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री / उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
15– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
16– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
17– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
18– समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
19– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

जननायक चन्द्रशेखर वि.वि., बलिया
पत्रांक: J.N.CU/R.Camp/Memo/2019 Dt: 5.2.2019
प्रतिलिपि: समस्त प्राचार्य / प्राचार्या, सम्बद्ध महाविद्यालय

5.2.19

Notification-Genral/s.o/c/3

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–113/सत्तर–1–2019–11(21)/2005
लखनऊ : दिनांक : 04 फरवरी, 2019

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के जारी किये जाने के दिनांक से 05 जून, 2019 तक के लिए, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974) द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) के अधीन स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों और उनके घटक महाविद्यालयों, सहयुक्त महाविद्यालयों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों की प्रत्येक सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

2– उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि यह अधिसूचना गजट में और राज्य में व्यापक परिचालन वाले कम से कम दो हिन्दी और अंग्रेजी दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

Notification-Genral/s.o/c-3

Uttar Pradesh Shashan
Uchcha Shiksha Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.113/70-1-2019-11(21)/2005, dated February 04 , 2019

Notification

No-113 /70-1-2019-11(21)/2005
Lucknow : Dated: February 04, 2019

WHEREAS the State Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient so to do ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P. Act no. 30 of 1966) the Governor is pleased to prohibit strike from the date of issuance of this notification till 05th June, 2019 in every services in the State Universities established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act No-10 of 1973) as amended and re-enacted by the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974 (U.P. Act No-29 of 1974) including constituent colleges, associated colleges and affiliated colleges thereof.

Under sub-section (2) of the said section the Governor is further pleased to direct that this notification shall be published in the Gazette and in at least two daily newspapers in Hindi and English having circulation in the State.

By Order,

(Rajendra Kumar Tiwari)
Apar Mukhya Sachiv